Form No.III
फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

अज ..... मुकाम .....

भंवरलाल बनाम तहसीलदार मेड़ता

किस्म मुकदमा राजस्व नम्बर..... सन्..... 18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम को इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.7.2018	वादी भंवरलाल के द्वारा घोषणार्थ, स्थाई निषेधाज्ञा का तहसीलदार मेड़ता द्वारा रिपोर्ट दिनांक 18.7.2018 के द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार मेड़ता ने अपनी रिपोर्ट में अभिशंसा की वादी के नाम खातेदारी, पट्टा RC की रिपोर्ट के आधार पर वृद्धि की अशोध्य की जाती है लिखा है RC, Pad द्वारा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा किसी केस पाकी नोट की बाबत जानकारी मिलना बताया जिसमें फल कि भंवरराम S/o किशनाराम व भंवरलाल S/o किशनाराम (मृत) वादित भूमि के पट्टाधारी भी थे भंवरलाल S/o किशनाराम है जिसमें मौका व आसपास पहचान स्थानीय व्यक्ति प्रमाण बताकी नामांकन वर्ष 2012 से 2015 में खाता सं. 372 में वादी का भंवरलाल S/o किशनाराम के स्थान पर भंवरलाल S/o किशनाराम दर्ज किया जाना उचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी भंवरलाल द्वारा प्रस्तुत राजस्व तहसीलदार मेड़ता की विशेष रिपोर्ट दिनांक 18.7.18 के आधार पर निश्चित मत बना बाबत की नामांकन सं. 2012 से 2015 में खाता सं. 372 में वादी का नाम भंवरराम S/o किशनाराम के स्थान पर भंवरलाल S/o किशनाराम दर्ज किये जाने की स्वीकृति की जाती है तहसीलदार मेड़ता रिपोर्ट 18.7.18 निर्णित कर भेजा। तहसीलदार मेड़ता यदि किसी नाबालिग का स्वार्थ अपेक्षित, अन्याय अपेक्षित, भूमि रक्षक नहीं है, विधिक कार्यवाही नहीं होती निष्पादन अपनी रिपोर्ट 18.7.2018 के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पत्रावली चेकाल हुआ लेख आज्ञा कार्यवाही शामिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner